

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार् से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651] No. 651] नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 2008/वैशाख 24, 1930 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 2008/VAISAKHA 24, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2008

का.आ. 1134(अ).—यत:, नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार 28 नवम्बर, 2007 की सं. का.आ. 1993(अ) की सार्वजिनक सूचना के रूप में भारत का राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत:, केन्द्र सरकार ने, मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
- 3. अत:, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है। संशोधन:

जोन-डी में 170 हे. के निम्न क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदली जाती है :--

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तितराजपत्र,	सीमा
जोन-डी में निकटवर्ती राजनगर एवं सरोजिनी नगर	1.70 हे.	''मनोरंजन'' (जिला पार्क)	''रिहायशी'' (छात्रवास/स्टाफ क्वार्टर्स)	पूर्व —24 मी. आर/डब्ल्यू रोड पश्चिम —सरोजिनी नगर उत्तर —नाला दक्षिण — सफदरजंग हास्पिटल स्टाफ क्वॉर्टर्स

[सं. के-13011/5/2006-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2008

- S.O. 1134(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1993(E) dated 28th November, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice
- 2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area measuring 1.70 ha. of land in Zone-D is changed as per description listed below:—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
Adjacent to Raj Nagar and Sarojini Nagar in Zone-D	1.70 ha.	"Recreational" (District Park)	"Residential" (Students Hostel/ Staff Quarters)	East —24m R/W Road West —Sarojini Nagar North —Nallah South —Safdarjung Hospital Staff Quarters

[F. No. K-13011/5/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.